भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2951

20 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जाना

2951. प्रो. अच्युतानंद सामंत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रतिशत राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या 100 प्रतिशत लिंकेज के अभाव में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए वास्तविक लाभार्थियों को बाहर रखा जा रहा है, यदि हां, तो ऐसे बहिर्वेशणों में कमी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि पीओएस मशीनों में प्रमाणीकरण की तकनीकी समस्याओं के कारण कम से कम वैध लाभार्थी राशन लेने से वंचित न हों?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): वर्तमान में, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थियों के उचित लक्ष्यीकरण के लिए लगभग 99.8% राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना देश के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही लागू कर दी गई है। इसकी शुरुआत के बाद से, ओएनओआरसी योजना के तहत लगभग 124 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिसमें अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों लेनदेन शामिल हैं, ताकि देश में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ओएनओआरसी योजना विशेष रूप से अस्थायी रोजगार की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलने वाले प्रवासी मजदूरों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) आदि के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत, लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड/आधार कार्ड का उपयोग करके, देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्र खाद्यान्न का उठान करने के लिए अधिकृत हैं। ओएनओआरसी ऐसे प्रवासी लाभार्थी के घर (गांव/गृहनगर में) पर उनके परिवार के सदस्यों को उसी राशन कार्ड पर आंशिक/शेष खाद्यान्न का उठान करने में सक्षम बनाती है। ओएनओआरसी ने प्रवासी लाभार्थियों/परिवार के सदस्यों को अपने राशन कार्ड में टैग किए गए एफपीएस पर जाने पर निर्भर हुए बिना अपनी पसंद की कोई भी एफपीएस चुनने की सुविधा प्रदान की है। पारंपरिक पीडीएस के तहत पहले ऐसी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं थी।

.....2/-

(ख) से (घ): आधार सीडिंग और एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों की स्थापना से, वर्तमान में, मासिक आधार पर ईपीओएस उपकरण का प्रयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से देश में लगभग 97% लेनदेन किए जाते हैं। इस विभाग ने राशन कार्डों की आधार सीडिंग दिनांक 31/03/2024 तक पूर्ण करने हेतु आधार अधिनियम 2016 की धारा-7 का उपयोग करते हुए दिनांक 08/02/2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) को जारी अधिसूचना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय-सीमा बढ़ा दी है। तब तक, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को पात्र राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूची से नहीं हटाया जाएगा और केवल आधार संख्या के अभाव में या केवल आधार संख्या न होने, नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग समस्याओं या किसी अन्य तकनीकी कारण आदि से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के आधार पर पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को खाद्यान्न के उनके पात्र कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।

तथापि, जब तक लाभार्थियों को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक आठ पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग पहचान उद्देश्य के लिए किया जाएगा अर्थात (मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा आधिकारिक पत्र पर फोटो के साथ जारी पहचान प्रमाण-पत्र, डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, किसान फोटो पासबुक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज)।

*****